



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233837
CG-DL-E-03032022-233837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]
No. 879]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 909(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH347-B के रुद्धि से देशगांव के किमी. 136.45 किमी. से 177.6 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH347-B के रुद्धि से देशगांव के किमी 136.45 किमी. से 177.6 किमी. तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एसडीएम (रेवन्यू) खंडवा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH347-B के कि.मी. 136.45 से 177.6 तक	मध्य प्रदेश	खंडवा	खंडवा	1 बड़गांव माली

[फा. सं. KNW/NH-347B/3a/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 909(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Rudhi at Km. 136.45 to Deshgaon at Km. 177.6 of the NH347-B for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on the stretch from Rudhi at Km. 136.45 to Deshgaon at Km. 177.6 of National Highway No. NH347-B in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SDM (Revenue) Khandwa	136.45KM. To 177.6KM.	MADHYA PRADESH	KHANDWA	Khandwa	1 Badgaon Mali

[F. No. KNW/NH-347B/3a/2022]

RAJESH GUPTA, Director